संख्या– 714 /11–6–15– एम (72)/2010

प्रेषक,

बीरेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ :दिनांकः 03 सितम्बर, 2015

विषयः प्रदेश में मल्टीप्लेक्स छविगृहों को खोलने के उद्देश्य से प्रोत्साहन योजना वर्ष 2015 के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश में मल्टीप्लेक्स छविगृहों को खोलने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–1972/11–6–10–एम (72)/2010 दिनांक 03.01.2011 द्वारा जारी संशोधित प्रोत्साहन योजना दिनांक 31.03.2015 को समाप्त हो गयी है। राजस्व में वृद्धि, रोजगार सृजन तथा जनता को उच्च कोटि का मनोरंजन प्रदान करने के दृष्टिगत, नये मल्टीप्लेक्स छविगृहों को खोलने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–1972/11–6– 2010–एम (72)/2010 दिनांक 03.01.2011 द्वारा जारी प्रोत्साहन योजना को दिनांक 31.03.2020 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है, जो निम्न तालिका में अंकित अनुदान की धनराशि तथा निम्नाकित शर्तों के अधीन होगी :–

(क) नगर निगम क्षेत्रों एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स हेतु अनुदान :–

प्रथम वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 100 प्रतिशत अनुदान।
द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान।
चतुर्थ एवं पंचम वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 50 प्रतिशत अनुदान।
छठा वर्ष एवं आगे	पूर्ण कर देयता।

(ख) नगर निगम क्षेत्रों एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा से भिन्न स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स हेतु अनुदान :–

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 100 प्रतिशत अनुदान।
चतुर्थ एवं पंचम वर्ष	मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान।
छठा वर्ष एवं आगे	पूर्ण कर देयता।

...2

2. प्रोत्साहन योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से दिनांक 31.03.2020 प्रभावी होगी।

3. इस योजना का लाभ इस अवधि में निर्मित ऐसे सभी मल्टीप्लेक्स को अनुमन्य होगा, जिन्होंने उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत लाइसेंस प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से निर्माण की पूर्वानुमति प्राप्त कर मल्टीप्लेक्स का निर्माण पूर्ण कर लिया हो तथा दिनांक 31.03.2020 तक मल्टीप्लेक्स के छविगृहों में सिनेमा प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो। परन्तु जिन आवेदकों द्वारा शासनादेश संख्या–1972/11–6–10–एम (72)/2010 दिनांक 03.01.2011 की योजना से प्रभावित होकर उ0प्र0 चलचित्र नियमावली, 1951 में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत विधिवत् लाइसेंस प्राधिकारी (जिला मजिस्ट्रेट) से निर्माण की पूर्व अनुमति प्राप्त कर मल्टीप्लेक्स का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया हो, किन्तु दिनांक 31.03.2015 तक मल्टीप्लेक्स के छविगृहों में फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त न कर सकें हों, ऐसे मल्टीप्लेक्सों, जो दिनांक 31.03.2016 तक फिल्म प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त कर लेते है, को भी प्रस्तावित शासनादेश में उल्लिखित अन्य शर्तों के पालन होने पर इस योजना का लाभ यथा स्थिति उपरोक्त प्रस्तर–1 (क) अथवा 1 (ख) के अनुसार अनुमन्य होगा।

4. मल्टीप्लेक्स छविगृहों के प्रोत्साहन विषयक समय–समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों सहित शासनादेश संख्या–1972/11–6–10–एम (72)/10 दिनांक 03.01.2011 को अतिक्रमित करते हुए वर्तमान प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत बनने वाले मल्टीप्लेक्स छविगृहों को निम्नवत् अनुदान अनुमन्य होगा :–

(i) अनुदान प्राप्त करने के लिये मल्टीप्लेक्स स्वामी द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ–साथ मल्टीप्लेक्स छविगृह की लागत का पूरा वास्तविक ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसमें भूमि की कीमत, व्यावसायिक प्रयोजन से किये गये निर्माण, यथा–मल्टीप्लेक्स छविगृह के निम्न स्तर के तलों का व्यवसायिक उपयोग वाले निर्माण तथा उन निर्माणों तक उपयोग होने वाले रैम्प, एक्सीलेटर, सीढ़ियों का निर्माण तथा बेसमेन्ट, दुकानें, होटल, स्वीमिंग पूल आदि सम्मिलित नहीं किया जायेगा, किन्तु छविगृहों हेतु उपकरण साज–सज्जा आदि की लागत सम्मिलित की जायेगी। उक्त से संबंधित समस्त अभिलेख के साथ संलग्न प्रारूप–I पर संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को प्रार्थना पत्र देना होगा तथा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेंस देने के साथ–साथ उपर्युक्त अनुदान की स्वीकृति भी संलग्न प्रारूप–II में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी तथा मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी द्वारा संलग्न प्रारूप–III में अपने स्वयं के हस्ताक्षर से शपथ पत्र तथा रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र निष्पादित/प्रस्तुत करने के बाद ही सहायक अनुदान योजना प्रभावी होगी। (प्रारूप–I, II व III संलग्न है) अनुदान प्राप्त करने के लिए मल्टीप्लेक्स स्वामी द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति मानचित्र की प्रति भी प्रस्तुत की जाएगी।

...3

(ii) मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी द्वारा प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत अनुदान का लाभ लेने हेतु जिला मजिस्ट्रेट को दिये गये प्रार्थना पत्र पर तीन माह के अन्दर निर्णय नहीं होता है तो प्रार्थी शासन के समक्ष प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(iii) जिला मजिस्ट्रेट को लाइसेंस देने की तिथि पर इस बात से संतुष्ट होना होगा कि मल्टीप्लेक्स छविगृह चलचित्र प्रदर्शन के लिए पूर्णतया तैयार व हर प्रकार से संयन्त्रयुक्त एवं सुसज्जित है, अनुदान स्वीकृति हेतु आवश्यक सभी अभिलेख प्रस्तुत कर दिये गये हैं तथा उनके तथ्य एवं आंकडें पूर्णतः सत्य है। आवेदक को लाइसेंस तभी दिया जाएगा जब उसके द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष सक्षम प्राधिकारी द्वारा मल्टीप्लेक्स हेतु जारी "पूर्णता प्रमाण पत्र" प्रस्तुत कर दिया है।

(iv) अनुदान की अवधि उपर्युक्त तालिकाओं में उल्लिखित प्रस्तावानुसार 05 वर्ष अथवा मल्टीप्लेक्स छविगृह की लागत (भवन या स्थल जो चलचित्र प्रदर्शन के लिए है, की लागत) मूल्य प्राप्त होने तक, जो पहले हो, होगी।

(v) वास्तविक लागत के संबंध में मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी द्वारा स्वयं के व्यय पर शासकीय मूल्यांकन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(vi) अनुदान योजना का लाभ प्राप्त होने की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कम से कम आगामी 05 वर्षों की अवधि में मल्टीप्लेक्सों छविगृहों में सिनेमा का प्रदर्शन अनिवार्य होगा। इस अवधि में पूर्व में संचालित नियमित प्रदर्शनों की संख्या में कमी नहीं की जायेगी। उक्त शर्त का उल्लंघन करने की दशा में अनुदान के रूप में उन्हें दी गयी सम्पूर्ण धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर ली जाएगी।

(vii) मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी को प्रत्येक प्रदर्शन में जारी किये गये टिकट से प्राप्त आय का लेखा उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर नियमावली, 1981 के नियम–13 के अनुसार प्रपत्र ख में बनाना होगा एवं अनुदान की अवधि में इसके देय कर की राशि अलग से दिखाई जायेगी। मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी को उ0प्र0 आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 की धारा–8 अन्तर्गत लगायी गयी शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

(viii) मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी द्वारा अनुदान के समतुल्य कर की धनराशि को नकद जमा करना आवश्यक न होगा एवं इस संबंध में यह मान लिया जायेगा कि उसने उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर नियमावली, 1981 के नियम–24 के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार अनुदान के बराबर की धनराशि जमा कर दी है, किन्तु लेखों में आवश्यक समायोजन हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक माह मल्टीप्लेक्स छविगृह स्वामी उपरोक्त बिल के साथ उस माह के लिए अनुमन्य अनुदान की कुल राशि का विवरण भी संलग्न करेगा, जो जिला

...4

मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। इस प्रकार प्रस्तुत प्रतिहस्ताक्षरित बिल के आधार पर कोषाधिकारी अनुदान की राशि का नकद भुगतान न करके उक्त राशि को अनुदान संख्या–90 के लेखा शीर्षक–"2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क–आयोजनेत्तर–101 संग्रह प्रभार–मनोरंजन कर–03–मनोरंजन कर से संबंधित अधिष्ठान–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता" के नामे डालते हुए उसे प्राप्ति शीर्षक "0045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क–101 मनोरंजन कर–01–कर संग्रहण" के अधीन जमा कर देगा। बिल के साथ संलग्न सत्यापित प्रतिहस्ताक्षरित विवरण–पत्र बाउचर का कार्य करेगा।

(ix) शासन अथवा जिला मजिस्ट्रेट को यदि यह समाधान हो जाता है कि मल्टीप्लेक्स के निर्माण में उससे संबंधित नियमावली, अधिनियम, विनियमन, बाईलाज के किसी प्राविधान अथवा अनुमोदित मानचित्रों एवं विशिष्टियों का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुदान गलत आधार पर स्वीकृत किया गया है, तो अनुदान का आदेश निरस्त किया जा सकेगा तथा अनुदान सहित प्रथम प्रदर्शन से ऐसे निरस्तीकरण की तिथि तक अनुदान के रूप में दी गई धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज के साथ भू–राजस्व के बकाये की भांति वसूल की जायेगी।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/11–6–15–एम (72)/2010, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–9
4. सूचना अनुभाग–2
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 सूर्य प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

d:entertainment tax:diwakar